संघ लोक सेवा आयोग

भर्ती नियम शाखा - कार्य प्रणाली

संघ लोक सेवा आयोग जो एक संवैधानिक निकाय है, को भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 320 के अंतर्गत अनेक प्रकार के कार्य करने का अधिदेश प्राप्त हैं। संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमावली, 1958 के साथ पठित भारतीय संविधान के अपेक्षित उपबंधों के अंतर्गत आयोग को भारत सरकार / संघ शास्ति क्षेत्रों के प्रशासनों / कतिपय अन्य स्वायत्तशासी संगठनों जैसे नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली जल बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी राज्य बीमा नियम आदि के अंतर्गत आने वाले विभिन्न सिविल पदों के लिए भर्ती नियम / सेवा नियम बनाने और उनमें संशोधन करने के बारे में परामर्श देने का अधिदेश प्राप्त है । आयोग कार्यालय में इन कार्यों के लिए समर्पित एक शाखा अर्थात भर्ती नियम शाखा है जिसमें अधिकारियों की एक टीम को मंत्रालयों / विभागों/ संघ शासित प्रशासनों / स्वायत्त संगठनों को इस संबंध में सहायता प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है ।